

02.07.18

पत्रावली पेश हुई। समय पर उपस्थित। जिस उपखण्ड अधिकारी सिंडीकेट के विरुद्ध यह स्वातंत्रण प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उनका स्वातंत्रण ही चुका है एवं दूसरे उपखण्ड अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण का लिये जमा है। अतः प्रकरण के प्रभावहीन हो जाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नियम की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली केसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल इफ्तार हो।

अधीनस्थ न्यायालय
होसली